न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 32/2018

दर्शनसिंह पुत्र दयालसिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 एसजेएम तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर । ——अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अनूपगढ। —— रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी अनूपगढ दिनांक 15.10.2014

उपस्थितिः–

श्री एम. एल. अरोड़ा, अभिभाषक अपीलार्थी।

श्री वेदप्रकाश शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 23.04.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलार्थी एक प्रार्थना दिनांक 15.10.2014 को उपखंड अधिकारी अनूपगढ के समक्ष पेश कर कथन किया कि प्रार्थी के नाम से चक 4 एसजेएम के मु.नं. 257/383 की 20.12 बीघा भूमि का विशेष आवंटन में आवंटन हुआ था। प्रार्थी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से किश्तों की राशि समय पर जमा नहीं करवा सका। प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी से किश्तों की राशि जमा करवाई जावे। उक्त प्रार्थना पत्र पर ही उपखंड अधिकारी अनूपगढ ने दिनांक 15.10.2014 को आदेश पारित कर दिया कि विशेष आवंटन में आवंटन की एक किश्त भी जमा नहीं कराई है। ऐसी स्थिति में पहली किश्त के अभाव मे किश्तें जमा करवाने का आदेश नहीं दिया जा सकता। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

23/4/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि अपीलार्थी को विशेष आवंटन में आवंटित की गई थी जिसकी किश्तों की राशि अपीलार्थी जमा नहीं करा सका एवं राशि जमा कराने का प्रार्थना पत्र अपीलार्थी ने पेश किया जो अधी.न्यायालय ने बिना रेकार्ड तलब किये प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित कर दिया जबकि अपीलार्थी किश्तों की राशि जमा कराने को तैयार है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलांट से किश्तों की राशि जमा कराने के आदेश दिये जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विशेष आवंटन में किश्तों की राशि जमा नहीं कराने से आवंटन स्वतः ही खारिज हो जाता है। अपीलार्थी द्वारा समय पर राशि जमा नहीं करवाई गई थी। अधी. न्यायालय ने राशि जमा नहीं कराने के जो आदेश दिये हैं वह सही होने से अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी ने यह अपील आदेश दिनांक 15.10.2014 के विरूद्ध दिनांक 23.03.2018 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खंडन रेस्पो. ने प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं करने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी अनूपगढ के आदेश दिनांक 15.10.2014 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें अपीलांट को विशेष आवंटन पर किश्तें जमा नहीं कराने के आवेदन को अस्वीकार किया है जबकि अपीलांट का आवंटन निरस्त नहीं हुआ है। अतः किश्तें जमा कराने का अनुतोष चाहा है।

23/4/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट के आवंटन की सन्दर्भ आदेशिका दिनांक 27.05.2000 की इबारत है कि पत्रावली पेश हुई. पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र की जांच की गई। तहसील से प्राप्त रिपोर्ट का मिलान किया गया। प्रार्थी तहसील अनूपगढ के चक नं0 4 एस जे एम के मु0नं0 257/383 के 20.12 बीघा अ.क. भूमि आवंटन कराने का पात्र है। पत्रावली आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की पात्रता पर आवंटन सलाहकार समिति में विचार किया गया। प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी व सदभाविक काश्तकार है। प्रार्थी को पात्र पाये जाने पर तहसील अनूपगढ के चक 4 एसजेएम मु0न0 257/383 के 20.12 बीघा अ.क. भूमि विशेष आवंटन में आवंटन की जाती है जिसकी कार्यवाही अलग से मिटिंग कार्यवाही रजिस्टर की क0स0 ——— पर दर्ज की गई । गजट दिनांक 3.11.88 में 1,30,000/–रूपये प्रति मुरब्बा कीमत अंकित है जिसकी वर्तमान कीमत 5,73,154/– रूपये होती है। अतः 35 प्रतिशत राशि 2,00,604/–रूपये जमा करवाने हेतु प्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। इस आवेदन पेटे अपीलांट दर्शनसिंह ने किश्तों की राशि जमा कराने हेतु दिनांक 12.03.2013 को उपजिला कलेक्टर अनूपगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया कि सेवा में श्रीमान उपजिला कलेक्टर अनूपगढ, विषय बाबत किश्त जमा करवाए जाने के सम्बन्ध में। श्रीमानजी निवेदन है कि प्रार्थी के नाम से वाके चक 4 एसजेएम के मु.न. 257/383 का 20.12 बीघा रकबा विशेष आवंटन में आवंटन है। यह कि प्रार्थी उक्त रकबा की किश्त जमा करवाना चाहता है। अतः दरख्वास्त पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी से उक्त रकबा की किश्त जमा करवाए जाने के आदेष दिये जावे। आपकी कृपा होगी। प्रार्थी दर्शनसिंह पुत्र गुरदयालसिंह जाति जटसिख निवासी 8 एसजेएम तहसील अनूपगढ, कार्यालय उपजिला कलेक्टर कमांक आवंटन/13/243 दिनांक 12.03.13, मूल ही तहसीलदार अनूपगढ को नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित है। हस्ताक्षर उपखंड अधिकारी अनूपगढ। परन्तु अधी. कार्यालयों द्वारा रेकार्ड से बाहर जाकर टिप्पणी कर किश्तों की राशि जमा नहीं की जबकि इस तिथि को किश्तों

23/4/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

की राशि जमा करने हेतु राज्य सरकार के Notification अनुसार दिनांक 31.03.2013 तक की तिथि की समयावधि थी जो बाद में 31.12.2013 की गई सन्दर्भ Notification की Bare reading है कि In exercise of the powers conferred by section 28 read with section 7 of the Rajasthan Colonisation Act, 1954 (Act No. 27 of 1954), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Colonisation (Allotment and Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975, namely :-

1. Short title and commencement- (1) These rules may be called the Rajasthan Colonisation (Allotment and Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force at once.

2. Amendment of rule 13-A.- In clause (ix) of sub-rule (5) of rule 13-A of the Rajasthan Colonisation (Allotment and Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975, herein after referred to as the said rules, for the existing expression "31st March, 2013, the expression "31st December, 2013" shall be substituted.

3. Amendment of rule 17.- In sub-rule (8) of rule 17 of the said rules, the existing second proviso shall be substituted by the following new provisos, namely:-

"Provided further that where the allottee fails to deposit the installments of price of land, no action for cancellation of allotment of land shall be taken by the allotting authority if the allottee deposits the remaining unpaid price of land without any interest as lump sum up to 31.12.2013.

Provided also that where the allotment of land has been cancelled for non-payment of installments of price of land and land has not been allotted to any other person, the allotment shall be restored if the allottee deposits the remaining unpaid price of land without any interest as lump sum up to 31.12.2013."

4. Amendment of rule 20.- In clause i) of rule 20 of the said rules, the following new provisos shall be added, namely:-

"Provided that where the purchaser fails to deposit the installments of price of land, no action for cancellation of allotment of land shall be taken by the allotting authority if the purchaser deposits the remaining unpaid price of land without any interest as lump sum up to 31.12.2013

23/4/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

Provided further that where the allotment of land by sale has been cancelled for non-payment of instalments of price of land and land has not been resold to any other person, the allotmnent be restored if the purchaser deposits the remaining unpaid price of land without any interest as lump sum up to 31.12.2013."

इस सम्बन्ध में अपीलांट द्वारा पुनः किश्तें जमा करवाने हेतु आवेदन पेश किया है कि उपखंड अधिकारी महोदय, अनूपगढ विषय खाता खुलवाकर किश्त राशि भरवाये जाने बाबत। श्रीमानजी निवेदेन है कि प्रार्थी के नाम से चक 4 एसजेएम का मु0न0 257/383 का 20.12 बीघा रकबा विशेष आवंटन हुआ था। उक्त रकबा की आवंटन राशि खजाना राज में जमा करवाना चाहता है। उक्त रकबा प्रार्थी के कब्जा में है। पूर्व में प्रार्थी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण किश्त राशि समय पर जमा नहीं करवा पाया। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के उक्त रकबा की आवंटन राशि खजाना राज में जमा करवाये जाने की कृपा फरमावे। दिनांक 15.10.2014 प्रार्थी दर्शनसिंह पुत्र गुरदयालसिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 एसजेएम तहसील अनूपगढ़। इसी आवेदन के हासिये पर अधी.न्यायालय के पीठसीन अधिकारी द्वारा अंकित किया है कि प्रार्थी के कथनानुसार विशेष आवंटन की एक किश्त भी जमा नहीं कराई है। ऐसी स्थिति में पहली किश्त के अभाव में किश्तें जमा करवाने का आदेश नहीं दिया जा सकता। प्रार्थी को नोट करवाये। जो अपीलाधीन आदेश है यह आदेश कार्यालय प्रकिया के विपरीत जारी किया है। प्रथमतः पीठासीन अधिकारी को तथ्यात्मक टिप्पणी/रिपोर्ट लेकर आवेदन का निस्तारण करना चाहिए, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर किश्तें जमा कराने में रियायते/छूट की गई है यथा Notification दिनांक 19.05.2013 जो उपर उद्धरित है बाबत अपीलांट द्वारा विधिवत दिनांक 12.03.2013 को आवेदन दिया गया था। उसका अध्ययन कर Logical mind apply कर आवेदन कर निस्तारण करना चाहिए था जो नहीं कर विधिक भूल की है। अतः अगर आवंटन बहाल/बरकरार है किश्तें जमा करने का Specific प्रतिबंध नहीं है तो यह विधिक निस्तारण नहीं है कि पहली किश्त के अभाव में किश्तें जमा करवाने का आदेश नहीं दिया जा सकता। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील

28/4/15

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.10.2014 निरस्त कर आदेश दिया जाता है कि अपीलांट से नियमानुसार किश्तों एवं ब्याज की राशि जमा करवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/4/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर